**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 965**

**बुधवार 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**उद्योगों के वर्गीकरण हेतु मानदंडों पर पुनर्विचार किया जाना**

**अता.प्र.सं. 965 श्री रवि प्रकाश वर्माः**

**श्री ए. यू. सिंह दिवः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या देश में उद्योगों के वर्गीकरण हेतु मानदंडों पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे पुनर्विचार के उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में शामिल किए गए उद्योगों के संशोधित वर्गीकरण को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों और राज्यों के विचार प्राप्त किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क): जी, हां।

(ख) से (ग): सू्क्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी, 2006 अधिनियम, 2006) की धारा 7 (1) (क) एवं (ख) में उद्यमों को वर्गीकृत किया गया है। सरकार ने, वर्तमान में सू्क्ष्‍म, लघु एवं मध्‍यम उद्यमों को वर्गीकृत करने हेतु निवेश सीमा को संशोधित करने का प्रस्‍ताव किया है तथा इस संबंध में हितधारकों से टिप्‍पणियां आमंत्रित की हैं। सू्क्ष्‍म, लघु एंव मध्‍यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक पहले ही संसद में प्रस्‍तुत किया जा चुका है।

\*\*\*\*\*